भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2160

गुरूवार, 21 दिसंबर, 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक)

देश में बढ़ती बेरोजगारी

2160. श्री दिग्विजय सिंहः
श्री कपिल सिब्बलः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान बेरोजगारी की दर का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है, पिछले पांच वर्षों के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार सृजन की योजनाओं में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही ऐसी योजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना बनाना चाहती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार हैः

वर्ष	**यूआर (% में)**
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2
2021-22	4.1
2022-23	3.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त तालिका के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर **अनुबंध-I** में दी गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 24.11.2023 तक, योजना के तहत 60.48 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति **अनुबंध-II** में दी गई है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति **अनुबंध-III** में दी गई है।

सरकार द्वारा स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-**IV** में दिए गए है।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। सरकार ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं की प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध-V से VIII** में दिया गया है।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	5.3	4.7	4.1	4.2	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	7.7	6.7	5.7	7.7	4.8
3	असम	6.7	7.9	4.1	3.9	1.7
4	बिहार	9.8	5.1	4.6	5.9	3.9
5	छत्तीसगढ	2.4	3.3	2.5	2.4	2.4
6	दिल्ली	10.4	8.6	6.3	5.3	1.9
7	गोवा	8.7	8.1	10.5	12.0	9.7
8	गुजरात	3.2	2.0	2.2	2.0	1.7
9	हरियाणा	9.3	6.4	6.3	9.0	6.1
10	हिमाचल प्रदेश	5.1	3.7	3.3	4.0	4.3
11	झारखंड	5.2	4.2	3.1	2.0	1.7
12	कर्नाटक	3.6	4.2	2.7	3.2	2.4
13	केरल	9.0	10.0	10.1	9.6	7.0
14	मध्य प्रदेश	3.5	3.0	1.9	2.1	1.6
15	महाराष्ट्र	5.0	3.2	3.7	3.5	3.1
16	मणिपुर	9.4	9.5	5.6	9.0	4.7
17	मेघालय	2.7	2.7	1.7	2.6	6.0
18	मिजोरम	7.0	5.7	3.5	5.4	2.2
19	नागालैंड	17.4	25.7	19.2	9.1	4.3
20	ओडिशा	7.0	6.2	5.3	6.0	3.9
21	पंजाब	7.4	7.3	6.2	6.4	6.1
22	राजस्थान	5.7	4.5	4.7	4.7	4.4
23	सिक्किम	3.1	2.2	1.1	1.6	2.2
24	तमिलनाडु	6.6	5.3	5.2	4.8	4.3
25	तेलंगाना	8.3	7.0	4.9	4.2	4.4
26	त्रिपुरा	10.0	3.2	3.2	3.0	1.4
27	उत्तराखंड	8.9	7.1	6.9	7.8	4.5
28	उत्तर प्रदेश	5.7	4.4	4.2	2.9	2.4
29	पश्चिम बंगाल	3.8	4.6	3.5	3.4	2.2
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13.5	12.6	9.1	7.8	9.7
31	चंडीगढ़	7.3	6.3	7.1	6.3	4.0
32	दादरा एवं नगर हवेली	1.5	3.0	4.2	5.2	2.5
33	दमन और दीव	0.0	2.9			
34	जम्मू एवं कश्मीर	5.1	6.7	5.9	5.2	4.4
35	लद्दाख	-	0.1	2.9	3.3	6.1
36	लक्षद्वीप	31.6	13.7	13.4	17.2	11.1
37	पुडुचेरी	8.3	7.6	6.7	5.8	5.6
अखिल भारत		**5.8**	**4.8**	**4.2**	**4.1**	**3.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के आंकडें (दिनांक 24.11.2023 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ की राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	479	36	1.2
2	आंध्र प्रदेश	166959	4044	322.1
3	अरुणाचल प्रदेश	514	17	1.4
4	असम	19902	669	34.0
5	बिहार	28551	1213	73.9
6	चंडीगढ़	64817	1584	103.1
7	छत्तीसगढ	85100	2951	170.1
8	दिल्ली	227662	3146	319.3
9	गोवा	20947	542	32.1
10	गुजरात	644000	15578	1017.7
11	हरियाणा	400549	7640	608.5
12	हिमाचल प्रदेश	83380	2164	136.8
13	जम्मू और कश्मीर	19384	891	47.9
14	झारखंड	62773	2248	127.9
15	कर्नाटक	486775	11007	854.1
16	केरल	96338	2732	194.6
17	लद्दाख	190	17	0.4
18	मध्य प्रदेश	205799	6257	380.2
19	महाराष्ट्र	978812	22447	1492.8
20	मणिपुर	1692	57	2.7
21	मेघालय	1224	39	4.9
22	मिजोरम	377	15	1.6
23	नागालैंड	234	17	0.5
24	ओडिशा	89354	4195	199.1
25	पंजाब	171000	6550	352.7
26	राजस्थान	326551	11480	568.4
27	सिक्किम	3766	113	7.2
28	तमिलनाडु	817951	16760	1167.7
29	तेलंगाना	283292	5392	396.3
30	त्रिपुरा	5440	150	10.0
31	उत्तर प्रदेश	433565	12413	854.0
32	उत्तराखंड	93500	2425	154.1
33	पश्चिम बंगाल	227625	7710	400.9
	योग	**6048502**	**152499**	**10038.1**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई

अनुबंध-III

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 22.11.2023 तक प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के लाभार्थियों के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़े

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत ऋण			वितरित ऋण			संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)		
		2021-22	2022- 23	2023-24	2021-22	2022- 23	2023-24	2021-22	2022- 23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	141	219	170	146	187	156	0.20	0.40	0.36
2	आंध्र प्रदेश	82,997	49,724	1,56,596	82,111	47,808	1,55,796	93.34	86.37	231.30
3	अरुणाचल प्रदेश	875	2,041	1,950	1,105	1,799	1,847	1.31	3.13	3.66
4	असम	43,176	23,857	59,764	42,671	23,559	57,094	44.67	36.74	80.44
5	बिहार	15,764	11,911	70,226	19,532	10,224	56,412	20.17	17.36	74.61
6	चंडीगढ़	1,573	1,865	2,581	1,593	1,891	1,736	1.77	3.44	3.36
7	छत्तीसगढ	9,338	11,728	40,049	9,238	11,148	35,619	12.02	20.21	59.09
8	दमन और दीव तथा दादारा एवं नगर हवेली	148	435	1,090	228	300	1,189	0.24	0.53	1.85
9	दिल्ली	10,319	33,972	1,19,219	11,067	27,092	96,895	11.57	36.97	114.74
10	गोवा	420	501	564	393	470	489	0.57	1.06	1.17
11	गुजरात	1,14,115	1,04,062	2,27,482	1,11,510	99,794	2,19,582	128.01	167.45	306.70
12	हरियाणा	12,633	12,087	1,10,316	11,622	12,155	80,963	13.76	20.95	95.37
13	हिमाचल प्रदेश	1,243	2,048	2,579	1,244	2,003	2,518	1.89	4.63	5.61
14	जम्मू और कश्मीर	3,840	5,209	3,905	4,063	4,959	3,044	5.37	10.09	8.18
15	झारखंड	8,290	8,823	57,333	8,380	7,466	47,563	9.92	13.00	58.24
16	कर्नाटक	46,360	78,428	1,95,769	45,543	68,111	1,91,576	57.18	119.91	275.75
17	केरल	3,355	5,522	61,437	3,379	5,099	55,989	5.37	10.50	62.67
18	लद्दाख	78	216	207	73	214	174	0.13	0.45	0.42
19	मध्य प्रदेश	2,01,148	1,75,656	3,71,012	1,99,540	1,70,474	3,22,775	242.09	304.25	537.19
20	महाराष्ट्र	45,051	2,38,925	4,08,085	60,752	2,11,199	3,54,042	73.03	268.30	435.33
21	मणिपुर	1,863	2,420	1,886	2,498	1,779	1,892	2.60	3.35	3.45
22	मेघालय	385	1,039	1,299	383	1,020	1,269	0.41	1.30	1.78
23	मिजोरम	133	131	1,042	135	125	981	0.23	0.26	1.27
24	नागालैंड	464	563	1,082	467	471	1,075	0.63	0.80	1.64
25	ओडिशा	7,719	12,988	34,347	8,994	10,683	32,298	10.57	20.25	55.00
26	पुडुचेरी	169	562	2,084	226	520	2,033	0.34	0.99	2.85
27	पंजाब	10,955	12,450	1,27,587	13,259	11,364	1,09,306	13.74	19.59	130.70
28	राजस्थान	12,594	19,070	83,737	17,023	9,118	83,290	17.09	16.05	108.22
29	सिक्किम	1	2	956	1	-	881	0.00	0.00	0.88
30	तमिलनाडु	62,727	58,674	2,55,145	77,938	60,317	2,32,556	79.65	103.70	319.78
31	तेलंगाना	73,492	97,957	1,44,157	87,629	88,539	1,44,019	140.47	180.75	338.24
32	त्रिपुरा	871	1,042	2,107	821	993	2,068	1.05	1.87	3.32
33	उत्तर प्रदेश	2,14,985	3,53,070	5,51,519	2,36,706	3,46,239	5,17,950	249.14	555.37	821.83
34	उत्तराखंड	1,959	7,348	12,606	1,908	7,016	11,942	2.42	11.89	18.09
35	पश्चिम बंगाल	8,828	4,927	1,58,023	11,220	2,693	1,41,114	11.07	3.83	145.88
योग		**9,98,009**	**13,39,472**	**32,67,911**	**10,73,398**	**12,46,829**	**29,68,133**	**1252.01**	**2045.74**	**4308.96**

स्रोतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार रिपोर्ट- (दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 24.11.2023 तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**ऋण खातों की संख्या**	**स्वीकृत राशि**	**संवितरित राशि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18,150	566.7	552.9
2	आंध्र प्रदेश	61,23,796	73,238.7	70,881.2
3	अरुणाचल प्रदेश	83,870	955.2	918.1
4	असम	67,55,114	38,912.1	37,797.8
5	बिहार	3,73,33,838	1,80,427.7	1,72,872.8
6	चंडीगढ़	1,15,469	2,043.2	1,974.7
7	छत्तीसगढ	60,65,457	38,351.0	36,843.7
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	23,513	434.7	413.5
9	दिल्ली	23,36,838	23,860.1	23,289.0
10	गोवा	2,23,979	3,220.2	3,063.2
11	गुजरात	97,06,739	78,664.6	77,451.0
12	हरियाणा	60,76,824	46,550.2	45,169.5
13	हिमाचल प्रदेश	6,90,793	14,010.1	13,182.9
14	झारखंड	97,91,710	50,181.8	48,864.5
15	कर्नाटक	2,94,56,443	1,85,416.4	1,83,199.6
16	केरल	1,03,38,538	73,312.4	72,094.5
17	लक्षद्वीप	6,938	105.0	100.7
18	मध्य प्रदेश	1,87,92,091	1,12,376.3	1,08,480.1
19	महाराष्ट्र	2,52,36,401	1,64,572.8	1,61,684.5
20	मणिपुर	3,66,716	2,222.0	2,099.3
21	मेघालय	1,76,619	1,720.8	1,671.7
22	मिजोरम	1,00,354	1,699.6	1,609.4
23	नागालैंड	93,104	1,374.6	1,289.0
24	ओडिशा	2,10,68,054	96,744.0	94,882.0
25	पांडिचेरी	7,34,014	4,764.1	4,703.5
26	पंजाब	65,04,588	50,197.0	48,200.5
27	राजस्थान	1,52,42,194	1,13,217.4	1,11,444.7
28	सिक्किम	95,279	1,086.1	1,049.4
29	तमिलनाडु	3,56,26,152	2,05,363.5	2,03,480.4
30	तेलंगाना	46,53,577	43,647.9	42,734.1
31	त्रिपुरा	19,68,181	11,115.2	10,890.7
32	जम्मू और कश्मीर	13,43,893	29,541.9	28,620.9
33	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	41,232	1,245.9	1,224.5
34	उत्तर प्रदेश	3,20,65,816	1,98,000.8	1,91,821.5
35	उत्तराखंड	19,09,881	18,933.7	18,340.5
36	पश्चिम बंगाल	3,07,36,604	1,72,522.7	1,69,407.8
	अखिल भारत	**32,19,02,759**	**20,40,596.6**	**19,92,303.8**

स्रोत: मुद्रा पोर्टल पर सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-V

राज्य सभा के दिनांक 21.12. 2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार निष्पादन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22			2022-23			2023-24 (31.10.2023 तक)		
		उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)	उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (लाख रु.)	सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित सृजित रोज़गार (व्यक्तियों की संख्या)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	238.69	162	1296	202.92	121	968	41.31	32	256
2	आंध्र प्रदेश	10088.80	2477	19816	12929.93	3073	24584	10903.16	2365	18920
3	अरुणाचल प्रदेश	788.88	196	1568	701.26	158	1264	1131.85	108	864
4	असम	6659.71	3855	30840	5954.20	2596	20768	2732.32	1018	8144
5	बिहार	8169.92	2477	19816	12123.20	4459	35672	10581.17	3002	24016
6	चंडीगढ़	62.08	21	168	44.53	15	120	18.44	8	64
7	छत्तीसगढ	6941.44	3020	24160	7492.77	2543	20344	3018.79	882	7056
8	दिल्ली	315.23	100	800	471.11	72	576	252.71	34	272
9	गोवा	298.22	87	696	291.08	66	528	169.21	37	296
10	गुजरात*	28704.84	4143	33144	24182.62	3071	24568	22773.78	2079	16632
11	हरियाणा	6093.33	1726	13808	6319.98	1559	12472	3938.22	677	5416
12	हिमाचल प्रदेश	3550.95	1274	10192	3149.58	930	7440	1620.94	394	3152
13	जम्मू और कश्मीर	46713.54	21648	173184	23993.89	12023	96184	16320.94	7549	60392
14	झारखंड	4188.27	1714	13712	4837.65	1851	14808	2226.88	792	6336
15	कर्नाटक	15843.36	5877	47016	16154.42	5618	44944	8561.10	2262	18096
16	केरल	6859.29	2789	22312	7329.23	3129	25032	2791.56	1167	9336
17	लद्दाख	1182.31	295	2360	376.09	91	728	209.94	44	352
18	लक्षद्वीप	17.50	7	56	2.49	2	16	0.00	0	0
19	मध्य प्रदेश	20961.46	8082	64656	18129.70	5957	47656	7105.27	1812	14496
20	महाराष्ट्र**	13018.54	4128	33024	13203.32	3625	29000	6508.59	1232	9856
21	मणिपुर	3337.25	1139	9112	1462.51	545	4360	419.19	199	1592
22	मेघालय	974.17	699	5592	665.74	306	2448	323.81	113	904
23	मिजोरम	1461.76	650	5200	1353.86	412	3296	1119.23	241	1928
24	नागालैंड	2494.89	1241	9928	1535.13	469	3752	504.44	133	1064
25	ओडिशा	11335.95	4301	34408	10731.75	3880	31040	3838.44	1087	8696
26	पुडुचेरी	144.30	66	528	65.56	25	200	15.88	5	40
27	पंजाब	6017.86	1790	14320	7250.62	1564	12512	6969.54	968	7744
28	राजस्थान	9025.60	2599	20792	11418.57	2037	16296	7561.82	943	7544
29	सिक्किम	214.27	85	680	131.46	57	456	136.88	46	368
30	तमिलनाडु	16445.76	5972	47776	17891.66	6140	49120	9879.42	2566	20528
31	तेलंगाना	9846.14	2906	23248	10225.11	2540	20320	6590.15	1349	10792
32	त्रिपुरा	2083.70	958	7664	1689.01	703	5624	672.40	277	2216
33	उत्तर प्रदेश	41165.07	12594	100752	37865.82	11601	92808	26200.10	6403	51224
34	उत्तराखंड	3983.20	1836	14688	4631.73	1803	14424	1817.53	573	4584
35	पश्चिम बंगाल	8539.63	2305	18440	7408.96	2126	17008	3043.17	814	6512
	योग	**297765.91**	**103219**	**825752**	**272217.46**	**85167**	**681336**	**169998.18**	**41211**	**329688**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (* दमन और दीव सहित, ** दादरा और नगर हवेली सहित)

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 31.10.2023 तक आरएसईटीआई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वि.व. 2019-20		वि.व. 2020-21		वि.व. 2021-22		वि.व. 2022-23		वि.वि. 2023-24 दिनांक 31-10-2023 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	489	316	318	135	412	381	421	421	325	189
2	आंध्र प्रदेश	9884	7179	5002	3836	7817	6522	10935	8792	6830	4008
3	अरुणाचल प्रदेश	211	294	18	57	225	0	384	438	185	43
4	असम	11922	7680	7208	5145	10017	8335	14328	11087	9294	4205
5	बिहार	24961	18393	14868	10817	21268	14330	28292	22769	19278	10302
6	छत्तीसगढ	12146	8209	7003	4927	10030	7257	12744	11238	9232	3336
7	दादारा एवं नगर हवेली	763	509	560	437	561	447	761	545	438	278
8	गोवा कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	गुजरात	20447	14075	11233	7859	15993	12863	20564	16395	13203	7224
10	हरियाणा	14391	10493	11301	6744	11045	8176	14086	8989	7630	4281
11	हिमाचल प्रदेश	4949	3541	3227	2019	4750	3208	6134	4013	3717	2110
12	जम्मू एवं कश्मीर	8662	7022	4552	3955	5277	4148	7909	6453	5108	3046
13	झारखंड	15911	12630	11467	7982	13725	10828	18979	13844	10900	3286
14	कर्नाटक	24676	20257	16333	12649	18332	17059	24937	19407	15636	8698
15	केरल	10236	9610	5090	4752	5980	5801	9970	7990	6151	3758
16	लक्षद्वीप	36	0	162	98	139	34	465	285	184	75
17	मध्य प्रदेश	31521	20982	19180	15530	22956	18490	32068	24620	20141	11295
18	महाराष्ट्र	24614	19668	16559	13033	19606	15251	27322	21474	16962	10463
19	मणिपुर	495	351	287	277	364	301	920	834	498	294
20	मेघालय	1629	989	959	687	1649	868	2024	1480	1415	482
21	मिजोरम	939	957	613	457	651	636	907	798	582	619
22	नागालैंड	356	202	199	118	338	272	396	395	309	154
23	ओडिशा	20489	14933	15321	11574	16049	13978	20766	17486	12522	7907
24	पांडिचेरी	762	543	583	420	568	485	821	780	603	317
25	पंजाब	9280	5605	7501	5489	9241	6972	10833	8243	7429	3928
26	राजस्थान	27023	18789	19904	12682	23160	19032	30404	25274	18377	11292
27	सिक्किम	364	489	202	134	203	146	411	299	313	206
28	तमिलनाडु	27112	17790	15233	12517	17187	14796	26310	21110	17145	11536
29	तेलंगाना	6435	5714	3703	2647	5413	5214	7195	6516	4968	1877
30	त्रिपुरा	2533	1775	1893	836	2274	1781	2744	2237	2043	1031
31	लद्दाख	603	233	408	328	535	384	624	355	230	139
32	उत्तर प्रदेश	50845	38070	41995	27673	52909	46948	55972	46109	36198	24450
33	उत्तराखंड	6765	5387	6383	4829	6258	4413	7007	5599	4125	2332
34	पश्चिम बंगाल	12576	8960	5876	4591	9182	7073	12169	9605	8384	4320
	योग	**384025**	**281645**	**255141**	**185234**	**314114**	**256429**	**409802**	**325880**	**260355**	**147481**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से (दिनांक 28.11.2023 तक) महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत प्रदान किए गए रोजगार (सृजित मानव दिवसों में) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सृजित मानव दिवस (लाख में)					
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	2465.64	2002.25	2593.24	2417.19	2396.03	2115.20
2	अरुणाचल प्रदेश	68.65	85.99	128.14	158.73	151.35	78.80
3	असम	532.47	623.08	911.53	916.61	791.31	677.00
4	बिहार	1233.57	1416.23	2276.27	1811.79	2369.09	1386.73
5	छत्तीसगढ	1386.02	1361.75	1840.90	1692.36	1325.25	726.39
6	गोवा	0.15	0.34	1.10	0.95	0.94	0.31
7	गुजरात	419.61	353.70	482.29	568.02	468.09	358.14
8	हरियाणा	77.90	91.19	179.62	146.40	96.51	77.18
9	हिमाचल प्रदेश	285.20	259.19	336.19	370.94	307.89	166.48
10	जम्मू और कश्मीर	368.15	313.41	407.01	406.33	308.95	179.77
11	झारखंड	536.59	641.95	1176.08	1132.47	915.36	805.34
12	कर्नाटक	1044.92	1118.63	1480.32	1634.93	1263.96	1064.78
13	केरल	975.26	802.30	1023.00	1059.66	965.78	680.06
14	लद्दाख	0.00	19.03	21.30	19.27	19.56	11.31
15	मध्य प्रदेश	2029.27	1930.17	3420.21	3000.13	2265.62	1301.74
16	महाराष्ट्र	845.94	629.60	679.36	825.42	788.06	598.94
17	मणिपुर	117.39	234.07	330.52	305.59	74.77	64.59
18	मेघालय	342.15	370.22	383.70	393.63	289.27	173.51
19	मिजोरम	179.17	192.59	198.66	200.77	202.33	119.77
20	नागालैंड	132.69	138.48	180.12	192.58	197.25	156.15
21	ओडिशा	829.88	1113.89	2080.75	1977.94	1853.77	1392.70
22	पंजाब	204.47	235.25	376.75	331.52	321.19	248.90
23	राजस्थान	2942.46	3286.55	4605.35	4242.97	3571.87	2381.32
24	सिक्किम	33.55	29.47	37.34	34.34	32.48	24.56
25	तमिलनाडु	2576.97	2485.10	3339.46	3457.26	3346.61	3431.82
26	तेलंगाना	1177.29	1071.14	1579.53	1457.94	1218.70	869.79
27	त्रिपुरा	253.09	344.02	437.22	426.18	334.55	295.81
28	उत्तर प्रदेश	2121.24	2444.30	3945.41	3257.96	3118.59	2500.22
29	उत्तराखंड	221.61	206.16	303.61	243.18	206.65	120.01
30	पश्चिम बंगाल	3382.53	2723.05	4140.17	3642.28	378.76	1.65
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.94	2.21	2.61	1.14	1.29	0.51
32	लक्षद्वीप	0.10	0.04	0.02	0.01	0.05	0.03
33	पुडुचेरी	6.65	7.65	10.57	6.15	8.30	16.82
34	दादारा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
	योग	**26792.52**	**26533.02**	**38908.33**	**36332.63**	**29590.16**	**22026.45**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय

राज्य सभा के दिनांक 21.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 (दिनांक 20.11.2023 तक) के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत नियोजित कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या और व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा जारी केंद्रीय निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजित कौशल अभ्यर्थियों की संख्या	व्यक्तिगत समूह सूक्ष्म उद्यम की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	55476	59423
2	अरुणाचल प्रदेश	1307	29
3	असम	12355	3824
4	बिहार	7365	8814
5	छत्तीसगढ	7365	29794
6	गोवा	4226	221
7	गुजरात	35065	19660
8	हरियाणा	12288	4738
9	हिमाचल प्रदेश	3447	2414
10	जम्मू एवं कश्मीर	1399	10097
11	झारखंड	20167	7370
12	कर्नाटक	1732	9845
13	केरल	13016	9705
14	मध्य प्रदेश	98531	47062
15	महाराष्ट्र	77789	36333
16	मणिपुर	9665	136
17	मेघालय	1791	62
18	मिजोरम	4000	1163
19	नागालैंड	514	294
20	ओडिशा	0	27346
21	पंजाब	38845	7042
22	राजस्थान	18514	14647
23	सिक्किम	246	18
24	तमिलनाडु	39948	210718
25	तेलंगाना	7359	8609
26	त्रिपुरा	704	1478
27	उत्तर प्रदेश	45023	50581
28	उत्तराखंड	2132	5907
29	पश्चिम बंगाल	16784	9487
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	7
31	चंडीगढ़	3808	166
32	दिल्ली	775	1046
33	पुडुचेरी	322	352
34	लद्दाख	0	21
35	दादारा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0
	योग	**5,41,958**	**5,88,409**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय